DFO/CF द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए निर्धारित जाँच सूची

म0प्र0 सड़क विकास निगम जबलपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–78 कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर से म0प्र0/छ0ग0 बार्डर तक जिला उमरिया, वनमण्डल उमरिया/बफरजोन बा0टा0रि0 उमरिया एवं वन विकास निगम के अंतर्गत प्रस्तावित 23.287 हे0 वनभूमि एवं 7.136 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 30.423 हे0 वनभूमि का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 16.04.2016 को किया गया। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	विशेष	CF/DFO(T) द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट	
1.	सीमा हेक्टेयर	23.287 हे0 वनभूमि एवं 7.136 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 30.423 हे0	
2.	वन भूमि के स्थान (अक्षांश, देशांस) डायवर्जन के लिए प्रस्ताव रखा।	P 58 -	N-23°39'10.0" N-23°39'03.5" E-80°43'13.4' E-80°43'13.2'
		P 61 -	N-23°38'16.8" N-23°37'15.1" 'E-80°43'29.4" E-80°44'22.4"
		R 9 -	N-23°37'15.1" N-23°36'51.4" E-80°44'22.4" E-80°44'41.1"
		P 64 -	N-23°36'51.4" N-23°36'30.9" E-80°44'41.1" E-80°44'51.9"
		P 65 -	N-23°35'32.7" N-23°35'12.3" E-80°45'24.3" E-80°45'33.5"
		R 684 -	N-23°34'55.3" N-23°34'43.1" E-80°45'43.7" E-80°45'48.9"
		P 720 -	N-23°34'43.1" N-23°34'41.8" E-80°45'48.9" E-80°45'50.0"
		R 210 -	N-23°33'09.5" N-23°33'09.7" E-80°49'23.7" E-80°49'30.0"
		R 211 -	N-23°32'47.5" N-23°32'43.4" E-80°49'51.0" E-80°50'3.7"
		P 729 -	N-23°31'21.0" N-23°31'19.7" E-80°50'43.9" E-80°50'43.4"
		R 679 -	N-23°28'56.1" N-23°28'19.9" E-80°53'46.8" E-80°54'10.9"
		R 577 - R 534 -	N-23°21'12.2" N-23°21'18.1" E-81°6'57.4" E-81°7'36.1"
		R 514 -	N-23°21'27.2" N-23°21'53.0" E-81°8'7.6" E-81°8'45.5"
		R 309 -	N-23°21'56.3" N-23°21'42.3" E-81°9'13.1" E-81°10'14.4"
		R 308 -	N-23°21'42.2" N-23°21'39.7" E-81°10'27.1" E-81°10'33.0"
		R 295 -	N-23°20'49.3" N-23°20'6.5" E-81°12'0.6" E-81°12'34.1"
		R 243/ 297	N-23°20'13.6" N-23°20'26.1" E-81°12'51.6" E-81°13'22.0"
		R 239 -	N-23°20'34.7" N-23°20'25.6" E-81°13'59.9" E-81°14'22.2"
		R 238 -	N-23°20'15.8" N-23°19'58.5" E-81°14'57.4" E-81°15'36.9"
		R 236 -	N-23°19'58.5" E-81°15'36.3"
		R 215 -	N-23°19'39.1" N-23°19'37.3" E-81°16'32.3" E-81°17'8.5"
		R 216 -	N-23°19'39.9" N-23°19'37.7" E-81°17'53.2" E-81°18'19.6"
		P 331 -	

3.	वन भूमि (संरक्षित वन / आरक्षित वन / राजस्व वन भूमि या किसी भी अन्य वन भूमि) की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन/संरक्षित वन/राजस्व वन
4.	अस्थायी केन्र्स आदि के साथ क्षेत्र का सीमांकन ।	आवेदक संस्था एवं वन कर्मचारियो के साथ संयुक्त सीमांकन किया गया है।
5.	अतिक्रमण का कोई भी लक्षण	निरंक
6.	किसी भी गतिविधि को पहले से ही उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वन भूमि या उससे सटे गैर वन भूमि के भीतर प्रस्तावित परियोजना के भाग के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि मे कोई अवैध कार्य नही किया गया है।
7.	वनस्पति की स्थिति। साइट की गुणवत्ता / प्रजाति संरचना आदि.	चयन सह सुधार, सुधार, आर.डी.एफ., पी.डब्ल्यू.सी., पी.आई.डब्ल्यू.सी. कार्यवृत्त अंतर्गत वनक्षेत्र है। वर्तमान मे साइट की गुणवत्ता श्रेणी III, IVA, IVB, VA है।
8.	वन्य जीवन की दृष्टि से क्षेत्र का महत्व। वन्य जीव की स्थिति (घनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों, पक्षी जीवन सरीसृप, तितलियों और अन्य अनुसूचित वन्यप्राणी किसी भी लुप्त प्राय वन्य जीवो की बहुतायत) की स्थिति इस क्षेत्र में वन्य जीवन की नवीनतम गणना।	मुख्य रूप से वन्यप्राणी बाघ, हिरण, सुअर, लोमडी, सियार एवं बंदर पाये जाते है, यदाकदा चिंकारा दिखाई देते है।
9.	वनस्पति/ पशुवर्ग या क्षेत्र मे किसी भी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानिकता।	कोई अद्वितीय परिस्थितिकीय तंत्र मौजूद नही है।
10.	वर्तमान भूमि उपयोग। इस क्षेत्र में कार्य करने मे कामयाब रहे है तो कार्यआयोजना के नुस्खे यदि नहीं, क्यों?	वर्तमान कार्य आयोजना मे चयन सह सुधार, सुधार पातन, आर.डी.एफ., पी. डब्ल्यू.सी., पी.आई.डब्ल्यू.सी. कार्यवृत्त अंतर्गत सम्मलित है।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व का क्षेत्र नही है।
12.	इस जमीन पर किसी भी व्यक्तियों/ परिवार का निर्भरता	इस वनभूमि पर किसी भी परिवारो की निर्भरता नहीं है।
13.	व्यक्तियों के विस्थापन का प्रस्ताव	विस्थापन की स्थिति नहीं है।
14.	वहाँ किसी भी पुनर्वास और पुर्नस्थापन की योजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए है? वहाँ विस्थापित करने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के बीच किसी भी असहमति आवाज है?	प्रस्तावित क्षेत्र के व्यक्तियों से असहमति की स्थिति प्रकाश मे नही आयी।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वन भूमि या गैर-वन भूमि पर है। वृक्षारोपण के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता का स्थान। अगर बिगडी वन भूमि मे है तो वर्तमान कार्यआयोजना अनुसार विवरण गैर-वन भूमि है तो नजदीक वन क्षेत्र से दूरी। मामला क्षेत्र में पैच की संख्या से अधिक किलोमीटर दूर करने के लिए किया जाना चाहिए।	प्रतिपूरक वनीकरण वनमण्डल साजापुर के वन परिक्षेत्र आगर के ग्राम रापडी ख.नं. 18/1/1 रकवा 19.47 हे0 तथा ग्राम टोकडा ख.नं. 229 रकवा 11.57 हे0 कुल 31.04 हे0 गैर वन भूमि मे प्रस्तावित है। आवेदक संस्था द्वारा वनीकरण की राशि भुगतान करने का वचन पत्र प्रेषित किया गया है।

16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि0मी0 से अधिक है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	प्रस्तावित क्षेत्र मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नही दी गई है।
18.	परियोजना के पास के इलाके मे रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से उमरिया जिले के निवासियों को आवागमन की सुविधा की संभावना है।
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीक़त के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नही हैं।
20.	गैर-साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेस्फिक परियोजना है।
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिए अनुरोध किया है, उपयोगता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाणपत्र	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा न्यूनतम वनभूमि की उपयोगिता बावत प्रमाण–पत्र दिया गया है।
22.	वन भूमि जिसका व्यपर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृध्दि को बचाने की कोई गुंजाइश।	परियोजना क्षेत्र चयन सह सुधार, सुधार, आर.डी.एफ., पी.डब्ल्यू.सी., पी.आई.डब्ल्यू. सी. कार्यवृत्त वनक्षेत्र है।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे ।	कुछ नहीं।
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डीएफओ की विशिष्ट सिफारिशें।	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–78 का उन्नयन होने से उमरिया जिले एवं शहडोल सम्भाग से लगे छ0ग0 प्रान्त के निवासियों को आवागमन मे सुविधा होगी। वनभूमि की मांग न्यूनतम है उक्त परियोजना राष्ट्रीय विकास हित मे है। अतः 30.423 हे0 वन तथा राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

स्थान - उमरिया
दिनांक - 12-5-2016

वन संरक्षक
एवं पदेन वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)